13

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प.2(8)शिक्षा/4/96 दिनांक : 26 AUG 1996

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय:- श्री घाटा बालाजी महिला विद्यापीठ मेहन्दीपुर घाटा मेहन्दीपुर बालाजी महिला महाविद्यालय के नाम से सत्र 1996-97 से कला संकाय का नवीन महिला महाविद्यालय खोलने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ :- निदेशक, कालेज शिक्षा के पत्र सं. प. 4(लेखा/विकास/95/230 दिनांक 6.8.96

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कालेज शिक्षा के उक्त संदर्भित पत्र से द्वारा घाटा मेहन्दीपुर बालाजी महिला महाविद्यालय घाटा मेहन्दीपुर (दौसा) [illegible] अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1996-97 के लिए कला संकाय में स्नातक स्तर [illegible] विषयों की कक्षाएं संचालित करने हेतु अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, इतिहास, [illegible]शास्त्र, राजनीतिशास्त्र, [illegible]शास्त्र एवं गृहविज्ञान ऐच्छिक विषयों की कक्षाएं संचालित करने हेतु नवीन [illegible] प्रारम्भ करने के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न [illegible] प्रदान किया जाता है :-

(1) महाविद्यालय को राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धता प्राप्त करना होगा तथा सम्बन्धता हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा ।

(2) [illegible] महाविद्यालय [illegible] पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने [illegible] शर्तों का पालन करना होगा ।

(3) प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताधारी [illegible] की नियुक्ति करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन [illegible] का भुगतान करना होगा ।

(4) [illegible] वर्तमान एवं भविष्य में उक्त महाविद्यालय संचालन एवं [illegible] किसी भी प्रकार का अनुदान एवं सहायता राज्य सरकार द्वारा [illegible] होगा ।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(डा॰ एम॰ सी॰ पाठक)
विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. [illegible], उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ।
2. [illegible] सचिव, उच्च शिक्षा सचिव, महोदय ।
3. [illegible] शिक्षा [illegible] (ग्रुप-3) विभाग ।
4. [illegible], शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग ।
5. [illegible] श्री घाटा बालाजी महिला विद्यापीठ, मेहन्दीपुर बालाजी, जिला [illegible]
6. [illegible] शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. [illegible] कलेक्टर, दौसा ।
8. रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा)

(हस्ताक्षर)
प्राचार्य
श्री बालाजी पी॰ जी॰ महिला कालेज
घाटा मेहन्दीपुर बालाजी दौसा (राज॰)

(हस्ताक्षर)
प्राचार्य
श्री बालाजी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
घाटा मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(295)

Encl-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/2554 दिनांक 25 अगस्त, 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार आगामी सत्र 2007-08 से पूर्व मे संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	215	श्रीमती परमेश्वरी देवी धनराज खेतान बालिका महाविद्यालय	रामगढ शेखावाटी, तह. फतेहपुर, जिला सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	283	श्री बालाजी महिला महाविद्यालय	घाटा, मेहंदीपुर बालाजी, दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्वन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थाई मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

आयुक्त

क्रमाक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/2554 दिनांक 25 अगस्त 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

(i) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(ii) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(iii) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(iv) निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
(v) जिला कलेक्टर, सीकर/ दौसा ।
(vi) उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(vii) विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(viii) कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
(ix) सचिव, सम्बन्धीत महाविद्यालय ।
(x) सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
(xi) संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली ।
(xii) रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

(98)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4)विभाग

प. 2 (8)/शिक्षा–4/1996 जयपुर, दिनांकः–24.6.2003

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषयः– श्री बालाजी महिला महाविद्यालय,धाटा मेहन्दीपुर ,दौसा में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003–04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भः– निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ,जयपुर से प्राप्त पत्र कमांकः प.4( ) लेखा/निकाशि/2002/2123 दिनांकः3.6.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशंषा के आधार पर उपरोक्त महाविद्यालय में नवीन विषय स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में 1.हिन्दी 2. संस्कृत 3.राजनीति विज्ञान विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003–04 से तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तो के साथ जारी किया जाता है :–

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धंन प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी.अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर निदेशक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन. ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी
5. संस्था नवीन महाविधालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष /फर्नीचर/प्रयोगशालायें/पुस्तकालय /खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
7. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
8. उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय /पाठ्यकम हेतु सीटों का आंवटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय ,

विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक , मा0 राज्यमंत्री , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
2. निजि सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा ,राजस्थान , जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर दौसा ।
6. प्राचार्य, श्री बालाजी महिला विद्यापीठ ,धाटा मेहन्दीपुर ,दौसा ।
7. रक्षित पत्रावली ।

विशेषाधिकारी , उच्चशिक्षा

प्राचार्या
आगामी कार्यवाही हेतु ।
1/7/03